

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय-वैढन,(म.प्र.)

—:: विविध आदेश ::—

क्र. 25/सीजेएम/2026

सिंगरौली, दिनांक : 26.02.2026

मैं शिवचरण पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय वैढन (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से माह मार्च एवं अप्रैल, 2026 में सार्वजनिक अवकाश में जिला सिंगरौली मुख्या. वैढन एवं तहसील न्यायालय देवसर, सरई में समय 03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम. बजे तक या जब तक कार्य पूर्ण हो, रिमाण्ड कार्य/आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगण की ड्यूटी निर्धारित करता हूं कि :-

मुख्यालय वैढन, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह मार्च, 2026	माह अप्रैल, 2026
1.	श्री विशाल रिछारिया, जे.एम.एफ.सी. वैढन	19, 21, 27 एवं 31.03.2026	03, 19 एवं 05.04.2026
2.	सुश्री प्रिन्सू मिश्रा जे.एम.एफ.सी. वैढन	02, 04, 08 एवं 22.03.2026	12, 14 एवं 26.04.2026
3.	सुश्री सिमरन गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. वैढन	01, 03, 07, 15, 20 एवं 29.03.2026	04 एवं 18.04.2026

तहसील देवसर, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह मार्च, 2026	माह अप्रैल, 2026
1.	श्री विष्णुकान्त मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	01 एवं 03.03.2026	12.04.2026
2.	श्रीमती पूनम सिंह जे.एम.एफ.सी. देवसर,	07, 19 एवं 21.03.2026	03.04.2026
3.	श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	08, 15 एवं 31.03.2026	05 एवं 18.04.2026
4.	श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	20, 22 एवं 27.03.2026	19 एवं 26.04.2026
5.	श्री अनिल नामदेव, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	02, 04 एवं 29.03.2026	04 एवं 14.04.2026

तहसील सरई, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह मार्च, 2026	माह अप्रैल, 2026
1.	श्री हर्षवर्धन राठौर, जे.एम.एफ.सी. सरई,	1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 29 एवं 31.03.2026	3, 4, 5, 12, 14, 18, 19 एवं 26.04.2026

नोट:-

- रिमांड डियूटी के दौरान यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
- रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट रिमांड के समय धारा 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे।
- रिमांड डियूटी के दौरान रिमांड डियूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने मुख्यालय के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों सहित अन्य आपराधिक मामलों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे। महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों में रिमांड डियूटी के दौरान उपस्थित पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183(6)(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान का पालन करते हुये कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।
- उपरोक्त रिमांड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व में लिखित आपसी सहमति प्रेषित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुमोदन उपरांत आपस में रिमांड डियूटी परिवर्तित करवा सकते हैं।
- किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमांड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संपादित किया जायेगा। प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर होने की दशा में उनका रिमांड कार्य सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड करेंगे।
- मुख्यालय सरई में एक ही मजिस्ट्रेट के पदस्थ होने से उनके अवकाश में जाने पर सार्वजनिक अवकाश के दौरान उनका रिमाण्ड कार्य/आवश्यक कार्य मुख्यालय देवसर के रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
- यदि किसी कारणवश माह माह मार्च एवं अप्रैल, 2026 में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो मुख्यालय वैढन का रिमांड कार्य माह मार्च, 2026 में श्री विशाल रिछारिया, जे.एम.एफ.सी. एवं माह अप्रैल में सुश्री प्रिंसू मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं मुख्यालय देवसर में माह मार्च, 2026 में श्री अनिल नामदेव, जे.एम.एफ.सी. एवं माह अप्रैल में श्रीमती पूनम सिंह, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं मुख्यालय सरई में माह मार्च एवं अप्रैल, 2026 में श्री हर्षवर्धन राठौर, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तब जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके स्थान पर पदभार ग्रहण किया जावेगा, उनके द्वारा रिमांड डियूटी निष्पादित की जावेगी। यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो चार्ज सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी निष्पादित की जावेगी।

— 5d —

(शिवचरण पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली, मुख्या. वैद्वन (म०प्र०)

पृ.क्र./25(15)/2026

सिंगरौली, दिनांक : 26.02.2026

प्रतिलिपि:—

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुख्या० वैद्वन, जिला सिंगरौली म.प्र. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
3. सुश्री रूपा मिश्रा, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जिला सिंगरौली म०प्र०।
4. श्री विशाल रिछारिया, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैद्वन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
5. सुश्री प्रिसू मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैद्वन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
6. सुश्री सिमरन गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैद्वन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
7. श्री विष्णुकांत मिश्रा, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
8. श्रीमती पूनम सिंह, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
9. श्रीमती अदिति तिवारी, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
10. श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
11. श्री अनिल नामदेव, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
12. श्री हर्षवर्धन राठौर, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय सरई, जिला सिंगरौली म०प्र०।
13. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
14. जिला नाजिर, जिला न्यायालय वैद्वन/देवसर/सरई जिला सिंगरौली को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
- ✓ 15. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय वैद्वन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
16. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ वैद्वन/देवसर/सरई की ओर सूचनार्थ।


(शिवचरण पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली, मुख्या. वैद्वन (म०प्र०)